

अंचल अधिकारी का कार्यालय, राजनगर

आदेश फलक

विधिध वाद संख्या 8/2025-26

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																
29/05/2025	अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक-...<u>हमादी रजक</u>... पति/पिता...<u>हमाकान्त रजक</u>... निवासी ग्राम...<u>इलाहाबाद</u>... मौजा...<u>इलाहाबाद</u>... धाना...<u>118</u>... खाता सं0...<u>77</u>... प्लॉट सं0...<u>782</u>... रकबा-...<u>0.49.10</u>... नाम...<u>हमाकान्त रजक</u>... पति/पिता...<u>हुरली रजक</u>... का जमाबंदी/सुधार हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर प्राप्त आवेदन पर राजस्व अभिलेख से जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अभिलेख दिनांक-...<u>09-06-2025</u>... को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, राजनगर।																	
09/06/2025	अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है :- <table><thead><tr><th>खाता सं0</th><th>खेसरा सं0</th><th>रकबा</th><th>जमाबंदी के अंकित व्यक्ति का नाम एवं पता</th></tr></thead><tbody><tr><td>77</td><td>782</td><td>0.49.10</td><td><u>हमाकान्त रजक</u> <u>पिता. हुरली रजक</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आलोक में उक्त भूमि विवरणी को ऑनलाईन पंजी-11 में सुधार/दर्ज करने हेतु राजस्व उप निरीक्षक को आदेश दिया जाता है। ऑनलाईन पंजी-11 के VOLUME No...<u>1</u>... पृष्ठ सं0...<u>294</u>... में जमाबंदी दर्ज/सुधार किया गया।  अंचल अधिकारी, राजनगर।	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	जमाबंदी के अंकित व्यक्ति का नाम एवं पता	77	782	0.49.10	<u>हमाकान्त रजक</u> <u>पिता. हुरली रजक</u>									
खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	जमाबंदी के अंकित व्यक्ति का नाम एवं पता															
77	782	0.49.10	<u>हमाकान्त रजक</u> <u>पिता. हुरली रजक</u>															